न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 49 / 2023

उनवान

1. श्री मोगा पिता कचरा डांगी, उम्र बालिग निवासी भीमपुर बरबडी, तहसील सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा (राज.) जिला सलुम्बर,

बनाम

1. श्रीमती गंगा पत्नि खेमा डांगी, उम्र बालिग
2. श्रीमती गोमती पुत्री खेमा डांगी, उम्र बालिग
3. श्रीमती गोकल पुत्री खेमा डांगी, उम्र बालिग
4. श्री पेमजी पिता नगजी डांगी, उम्र बालिग
5. श्री नाथु पिता नगजी डांगी, उम्र बालिग
6. श्री धुलजी पिता नगजी डांगी, उम्र बालिग

सभी निवासीयान भीमपुर बरबडी, तहसील सलुम्बर, हाल तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा– 151 व्य.प्र.संहिता

–::निर्णय::–

दिनांकः– 13/08/24

उपस्थितिः श्री महेश जोशी अधिवक्ता–प्रार्थी
श्री सुरेश कुमार पुरी अधिवक्ता– विपक्षी सं. 1 से 3 तक
श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता– विपक्षी सं. 4 से 6 तक

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमती गंगा व अन्य बनाम श्री मोगा व अन्य अनवान का एक वादपत्र आप न्यायालय मे किया प्रस्तुत व वं साथ ही एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 103 / 2022 होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 09 / 11 / 2022 को पत्रावली की आदेशिका मे यह लिखते हुऐ कि विपक्षी संख्या 1 मय वकील अनुपस्थित है जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से बार–बार आवाजे लगायी गयी उसके उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली पर बहस सुनी गयी धारा 212 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया।" पृथक से आदेश लिखाकर प्रार्थीया श्रीमती गंगा व अन्य का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व वादपत्र के निस्तारण तक मौजा भीमपुर बरबडी के आराजी नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टेयर विवादित कृषि भुमी की मौके यथास्थिति मुल दावे के निस्तारण तक उभयपक्ष को पावन्द किया जाता है।"

उक्त पत्रावली की आदेशिका दिनांक 09 / 11 / 2022 में मामले के विपक्षी संख्या 1 मय, अधिवक्ता अनुपस्थित होना बताया है व दुसरी तरफ निर्णय मे विपक्षी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता लक्ष्मीलाल सालवी की उपस्थिति बताई तथा मुलवाद में आगे

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

की तारीख नियत करते हुऐ तारीख बदलते हुऐ मुल पत्रावली दिनांक 21/08/2023 नियत है। इस प्रकार एक पक्षीय आदेश में प्रार्थना पत्र की आदेशिका व निर्णय में उपस्थिति मे भिन्नता है तथा एकपक्षीय आदेश गलत पारित किया गया है व विपक्षी संख्या के अधिवक्ता लक्ष्मीलालजी ने इस एक पक्षीय आदेश व प्रार्थना पत्र के निर्णय बाबत विपक्षी संख्या 1 जो इस प्रार्थना पत्र का प्रार्थी/आवेदक है उसे कभी बताया ही नहीं। प्रार्थी / विपक्षी संख्या 1 को उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। विपक्षी संख्या के पिता के नाम पर आवंटनशुदा भुमी जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 25 रकबा 2.10 हैक्टेयर होकर उक्त भुमी के विपक्षी संख्या 1 एकमात्र खातेदारी काश्तकार होकर काबिज काश्त है उस पर विपक्षी संख्या 1 का मकान भी बना हुआ है कुछ मामुली काम शेष है इसी दरमियान झल्लारा पुलिस उक्त काम रोकने बाबत आयी तब विपक्षी संख्या 1/प्रार्थी ने अपने वकील साहब को पुछा तो उन्होने कोई जानकारी नही होना बताया जिस पर प्रार्थी ने अन्य अधिवक्ता से सहायता लेकर उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने हेतु दिनांक 14/07/2023 को प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कियां एवं दिनांक 18/07/2023 को प्रमाणित प्रतिया प्राप्त की तथा उक्त आवेदन एक तरफा कार्यवाही अपास्त हेतु प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार कर एक तरफा कार्यवाही एवं आदेश अपास्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 न्याय से वंचित हो जायेगा।

अतएव श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 09/11/2022 को अपास्त कर प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दो तरफा कार्यवाही कर प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 को अपना पक्ष रखने एवं सुने जाने का आदेश फरमायें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पुरी ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि माननीय न्यायालय में विपक्षीगण ने एक वाद 'खातेदारी हक की घोषणा कराने एवं स्थाई निषधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955" के तहत मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत इस आशय का पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय में दिनांक 09–11–2022 को विपक्षीगण श्रीमती गंगा, श्रीमती गोमती एंव श्रीमती गोकल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभय पक्षों को पाबन्द किया गया और वादग्रस्त आराजी नम्बर 25 रकबा 2.10 हेक्टर विवादित जमीन पर मुल वाद के निस्तारण तक कोई भी पक्ष यथास्थिति में परिवर्तन नहीं करने का आदेश दिया गया। प्रार्थी श्रीमती गंगा की ओर से अधिवक्ता ने बहस की और विपक्षी सं. 1 मोगा की ओर लक्ष्मीलाल जी सालवी अधिवक्ता उपस्थित होकर चले गये और बाद में पुनः न्यायालय में आवाज दी तो उपस्थित नहीं हुये जिस पर न्यायालय ने बहस सुनकर अस्थाई निषधाज्ञा का निर्णय पृथक से लिखाकर दिनांक 09–11–2022 को सुनाया गया। क्योंकि दिनांक 09–11–2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के बहस बाबत् प्रार्थी एवं विपक्षीगण को आवांज लगाई थी और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये और विपक्षी की ओर से अधिवक्ता गोपालजी चौबीसा उपस्थित हुये और विपक्षी सं. 1 मोगा की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीलाल जी सालवी उपस्थित हुये लेकिन बाद में लंच के बाद बहस के दौरान बार बार आवाज लगाई गई लेकिन उपस्थित नहीं हुये लेकिन विपक्षी सं. 1 मोगा स्वयं न्यायालय में उपस्थित था और फिर न्यायालय ने प्रार्थी एवं विपक्षीगण की बहस कर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 09–11–2022 को पारित किया। उक्त निर्णय में भी प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता का नाम है और विपक्षी नं. 1 मोगा की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीलाल जी सालवी का नाम है और विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता गोपालजी चौबीसा का नाम है।

उक्त वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की तामिल हुई तब से सभी अधिवक्ता उपस्थित थे और उनके पक्षकारान भी हर पेशी पर उपस्थित रहे है जिस कारण न्यायालय के उक्त निर्णय में कहीं पर भी विपक्षी सं. 1 की अनुपस्थिति का आदेश नहीं लिखा है मात्र न्यायालय के प्रार्थना पत्र की ऑर्डरशीट में बरोज पेशी के दिन बहस के दौरान अधिवक्ता लक्ष्मीलाल जी सालवी उपस्थित नहीं रहने के कारण अनुपस्थित बताये है लेकिन विपक्षी सं. 1 मोगा स्वयं न्यायालय में उपस्थित था, जिस कारण विपक्षी सं. 1 ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बारे में जानकारी नहीं थी, यह नहीं कह सकता है ओर उक्त निर्णय दिनांक 09–11–2022 को पारित करने के पश्चात् करीब 7 माह पश्चात् उक्त आदेश के विरूद्ध जो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 का पेश किया है वह उचित नहीं है क्योंकि निर्णय की जानकारी थी और विपक्षी मोगा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता था लेकिन जानबुझकर उक्त निर्णय की अनभिज्ञता बता रहा,है जो उचित नहीं है और उक्त निर्णय की अपील की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है। और जिस दिन प्रार्थना पत्र के बहस की सुनवाई थी उसी दिन मात्र अधिवक्ता अनुपस्थित थे लेकिन विपक्षी मोगा माननीय न्यायालय में उपस्थित था और उक्त निर्णय पारित करने के 8–9 माह पश्चात् अन्य अधिवक्ता को मुकर्रर कर अवधि समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है क्योकि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ परिसीमा अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी विपक्षी मोगा की तरफ से पेश नहीं किया गया है अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय में प्रार्थी मोगा की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं सपठित धारा 151 जा. दी. बिना किसी विधिक आधार एवं समयावधि समाप्ति के पश्चात् पेश करने के कारण सव्यय खारिज फरमावे और बेवजह न्यायालय की कार्यवाही में देरी करने के कारण उचित मुआवजा विपक्षीगण को प्रार्थी से दिलाया जावे।

विपक्षी सं. 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल चौबिसा ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश नही कर सीधे बहस करना जाहिर किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया प्रकरण संख्या 103/2022 मे एक पक्षीय आदेश दिनांक 09–11–2022 को हुआ है मुझे जानकारी दिनांक 14–07–2023 को हुई। पूर्व अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल सालवी थे। मुझे सुने बिना आदेश पारित किया है निर्णय मे मेरी उपस्थिति जरिये अधिवक्ता लक्ष्मीलाल सालवी दिखा रखी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दो तरफा कार्यवाही कर प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 को अपना पक्ष रखने एवं सुने जाने का आदेश फरमायें।

अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3 तक ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं कथन किया कि प्रार्थी आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय डिक्री अपास्त कराने आये है जबकि प्रकरण सं. 103/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का था। प्रकरण मे कोई डिक्री अभी तक नही हुई है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का खाजिर फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

अधिवक्ता विपक्षी सं. 4 से 6 ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1, 2 में लगाना चाहिये था अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे हुए निर्णय दिनांक 09–11–2022 की अपील करते, जो प्रार्थी ने नही की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण सं. 103 / 2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे न्यायालय द्वारा दिनांक 09–11–2022 को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रकरण फैसल शुमार किया गया है। उक्त प्रकरण का मूलवाद मे अभी तक कोई डिक्री जारी नही की गई है तथा प्रकरण अभी न्यायालय मे विचाराधिन है जिसमे पक्षकारो के हितो का निरधारण गुणावगुण के आधारा पर किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दि. एवं धारा 151 जा.दि. का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 जा.दि. का अस्वीकार योग्य पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 13/08/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर